

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 582/2025

सज्जन कौर

—अपीलार्थी

## बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा), जयपुर ।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) जयपुर ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ़, जिला चुरू ।
5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़, जिला चुरू ।
6. सुनीता कुमारी ए.एन.एम. उप स्वास्थ्य केंद्र कलां ताल, तहसील राजगढ़, जिला चुरू ।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.03.2025

आदेश की दिनांक : 17.03.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री बिंजाराम जाजड़ा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य  
असलम मेहर, सदस्य

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई ।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर उप स्वास्थ्य केंद्र कलां ताल, तहसील राजगढ़ जिला चुरू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उप स्वास्थ्य केंद्र नूरे की भूर्ज पीएचसी कानासर बीसीएमओ बाप जोधपुर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 को समंजित करने के उद्देश्य से बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 500 किमी दूर किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.01.2025 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त भी कर दिया गया है।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के वृद्ध सास-ससुर है जिनकी उम्र 90 एवं 92 वर्ष की है जो अपीलार्थी पर ही निर्भर है उनकी देखभाल अपीलार्थी द्वारा ही की जाती है। अपीलार्थी के दो बच्चे हैं, लड़की जयपुर में बीपीटी कर रही है व लड़का आईटीआई फरीदाबाद से कर रहा है। अपीलार्थी का पति अपनी बच्ची के साथ रह रहा है। अपीलार्थी का वर्ष 2015 से 2023 के मध्य में कई बार स्थानांतरण हो चुका है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन (अनुलग्नक- 5) प्रस्तुत किया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 20.01.2025 (अनुलग्नक-2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को वर्तमान ए. एन.एम. के पद पर उप स्वास्थ्य केंद्र कलां ताल तहसील राजगढ़ जिला चुरु में निरंतर कार्य करने दिया जावे।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।
5. प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)  
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य